/यालय उपजिलाधिकारी, चन्दौसी

संख्या–टी2016137404995

अन्तर्गत धारा 80–उ0प्र0 राजस्व संहिता
ग्राम–नाधौस
तहसील चन्दौसी, जनपद सम्भल

पवनकुमार जैन बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री पवनकुमार जैन पुत्र बाबू मुकुटविहारी लाल जैन निवासी मौ0 सी 82 गाँधीनगर मुरादाबाद तहसील मुरादावाद ,जिला मुरादावाद के प्रार्थना पत्र दिनॉक 08.02.2016 के आधार पर योजित किया गया उक्त वाद में आवेदक द्वारा अपनी भूमि स्थित ग्राम नाधौस की खतौनीं के खाता सं0 338 के गाटा सं0 521 क्षेत्रफल 1.963 हे0, लगान 24.25 पैसे में से क्षेत्रफल 1.000 हे0 जो आवेदक द्वारा क्रय किया गया है। जिसको धारा 80 के अर्न्तगत अकषिक भूमि घोषित कराने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि के सर्किल रेट के अनुसार एक प्रतिशत धनराशि 22000(बाईस हजार) रू/इलाहावाद बैंक चन्दौसी में जमा किये गये है जिसके जमा के चालान की प्रति पत्रावली पर चस्पा है। आवेदक के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार चन्दौसी से जाँच कराई गयी। तहसीलदार चन्दौसी द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 05.03.2016 में स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया कि मौके पर प्रश्नगत भूमि क्षेत्रफल 1.052 हे0 भाग पर कृषि कार्य नही हो रहा हैं तथा बानिकी अथवा पशुपालन नही किया जा रहा है। निर्माण कार्य चल रहा है, आवेदक का विक्रय पत्र के आधार पर गाटा सं0 521 में क्षेत्रफल 1.000हे0 है। उक्त भूमि से भूराजस्व समाप्त कर आकषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की हैं।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों एवं साक्ष्यो का परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत भूमि के खसरा फसली वर्ष 1422 फ0 का अवलोकन किया तहसीलदार चन्दौसी की आख्या के अनुसार स्थल पर कृषि कार्य नही हो रहा हैं। निर्माण कार्य चल रहा है। तहसीलदार चन्दौसी ने धारा 80 उ0प्र0राजस्व संहिता के अर्न्तगत आकषिक भूमि घोषित करने की संस्तुति की हैं।इस प्रकार प्रश्नगत भूमि आकषिक घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अत: तहसीलदार, चन्दौसी की आख्या दिनॅाक 05.03.2016 के आधार पर भूमि स्थित ग्राम नाधौस की खतौनी खाता सं0 338 के गाटा सं0 521 क्षेत्रफल 1.963 हे0, में से क्षेत्रफल 1.000 हे0 भूराजस्व परतानुसार को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए भूराजस्व समाप्त किया जाता है। इस आदेश की एक–एक प्रमाणितप्रति तहसीलदार/उपनिवन्धक चन्दौसी को आ0का0हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक:–22.04.2016

(अमित कुमार)
उपजिलाधिकारी,
चन्दौसी।

उपर्युक्त निर्णय मेरे द्वारा आज दिनॉक 22.04.2016 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवं उदघोषित किया गया

दिनॉक:–22.04.2016

(अमितकुमार)
उपजिलाधिकारी,
चन्दौसी।

9742
25/7/19
R-P Sharma
13-
(1)
28/7/19
25/7/19

सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल
राजस्व अभिलेखागार कलक्ट्रेट
मुरादाबाद